

लागू नहीं

(61)

प्रपत्र -45

परियोजना का नाम— जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के हेतु प्रस्तावित वन भूमि (रिक्त) वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है— लागू नहीं।

ह०
समन्वयक/सहायक
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

ह०
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट:— उक्त प्रमाण— पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रमाण—पत्र नई लीजों व कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ किया जायेगा।

प्रपत्र -46

परियोजना का नाम— जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह०
समन्वयक/सहायक
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

ह०
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट:— उक्त प्रमाण—पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।